बिहार विधान परिषद दैनिक विवरणिका

संख्या- 7 सत्र- 185वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
सोमवार, दिनांक 6.3.2017 ई.

माननीय उप सभापति श्री मो. हारूण रशीद की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 3.50 अपराह्न तक

1. **कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन**

माननीय उप सभापति महोदय ने बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 28 के अंतर्गत दिनांक 6.3.2017 की कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन को सदन के समक्ष उपस्थापित किया, जिसमें निम्न निर्णय लिए गए –

1. गुरुवार, दिनांक 9 मार्च, 2017 एवं शुक्रवार दिनांक 10 मार्च, 2017 को सदन की बैठकें नहीं हों,

2. शनिवार, दिनांक 18 मार्च, 2017 एवं शनिवार, दिनांक 25 मार्च, 2017 को सदन की बैठकें हों,

3. शनिवार, दिनांक 18 मार्च, 2017 एवं शनिवार, दिनांक 25 मार्च, 2017 को सदन की बैठकें 12.00 मध्याह्न से हों,

4. गुरुवार, दिनांक 9 मार्च, 2017 के लिए पूर्व से निर्धारित कार्य अब शनिवार, दिनांक 18 मार्च, 2017 को लिए जाएं,

5. शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च, 2017 के लिए पूर्व से निर्धारित कार्य अब शनिवार, दिनांक 25 मार्च, 2017 को लिए जाएं।

2. कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन को सदन द्वारा स्वीकृत किया जाना

माननीय सदस्य, श्री केदार नाथ पाण्डेय ने प्रस्ताव किया कि दिनांक 6.3.2017 के कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन सदन द्वारा स्वीकृत हो।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

3. कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन

प्रश्नोत्तर काल की घोषणा होते ही माननीय सदस्य, श्री लाल बाबू प्रसाद ने अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहा, जिसपर विरोधी दल के माननीय सदस्यगण भी उनके समर्थन में खड़े हो गये। आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि नियमानुसार यह कार्यस्थगन प्रस्ताव जब शून्यकाल प्रारंभ होगा, तब आप रखेंगे।
इस अवसर पर माननीय नेता, प्रतिपक्ष, श्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आजतक माननीय उत्पाद मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि पूरे चलते सत्र के दौरान हम माननीय मंत्री का बहिष्कार करेंगे, हम उनको बोलने नहीं देंगे और कोई प्रश्न उनसे नहीं पूछेंगे। सरकार से आग्रह है कि ऐसे मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे, हम चाहते हैं कि सदन चले, इसपर माननीय मंत्री, श्री अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि उप सभापति महोदय, माननीय सुशील कुमार मोदी साहब ने जो कहा उस विषय पर हम कांग्रेस के लोग खेद प्रकट कर चुके थे लेकिन जलील मस्तान साहब को जो बंगलादेशी बोला गया, उसके बारे में हमारे विरोधी दल के जो नेता हैं, उन्हें कहना चाहिए। विरोधी दल के माननीय सदस्यगण इसपर जोर-जोर से बोलने लगे। आसन ने अनुरोध किया कि सदन चलाने के लिए सबकी सहमति हुई है, कृपया बैठ जायें, सदन चलने दें । आसन के अनुरोध पर सदन व्यवस्थित हुआ और प्रश्नोत्तर काल पुन: आरंभ हुआ।

4. प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 54, 55, 56, 58 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 57, 59 स्थगित हुए।
प्रश्न संख्या- 61 सदन पटल पर रखा गया।
प्रश्न संख्या- 60, 62 अनागत हुए।

आसन का नियमन

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 54 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्य, सतीश बाबू वह कागज आप माननीय मंत्री को दे दें। माननीय मंत्री इसकी जांच कराएंगे। माननीय सदस्य ने कहा है कि उन्होंने सरकार को सूचना दी है, माननीय मंत्री से अनुरोध किया गया कि आप विभाग के किसी वरीय पदाधिकारी से इसकी जांच करा लीजिए और जांच कराकर कार्रवाई करें। इसको गंभीरता से लें।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 55 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि ठीक है, माननीय मंत्री इसको दिखवा लेंगे। आश्वासन हो गया तो क्या दिक्कत है।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 106, 116, 118, 127 स्थगित हुए।
प्रश्न संख्या- 111 व्यपगत हुआ।
प्रश्न संख्या- 115, 117, 119, 120, 121, 122, 125, 126 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या- 123, 124, 127, 128 अनागत हुए।

आसन का नियमन

तारांकित प्रश्न संख्या- 102 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री, माननीय सदस्य का कहना है कि खाता संख्या-8, खेसरा संख्या-2418 5 एकड़ पर जो जमीन खाली है, उसपर पंचायत भवन बनना चाहिए। उसी रिवेन्यू विलेज में पंचायत भवन बनना चाहिए, यही कहना है, उसको देख लीजिए और उसी को बनवा दीजिए, अगर जमीन खाली है तो क्या दिक्कत है।

तारांकित प्रश्न संख्या– 104 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्य भी जांच टीम में साथ चले जाएंगे। माननीय मंत्री ने कहा कि अगर गलत जवाब है तो हम सदन को आश्वस्त करते हैं, जो भी दोषी पदाधिकारी या अभियंता रिपोर्ट भेजे हैं, सरकार निश्चित रूप से उसपर कार्रवाई करेगी। माननीय सदस्य को भी जांच टीम के साथ में भेज देंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या- 109 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री यह अति महत्वपूर्ण विषय है इसलिए माननीय सदस्य हीरा प्रसाद बिन्द जी की चिंता जायज है तो हम यह चाहते हैं, इसको प्रायोरिटी पर किया जाय। माननीय मंत्री ने कह दिया है कि दिखवा लेते हैं।

5. शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान निम्नांकित माननीय सदस्यों ने विभिन्न विषयों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्रीमती नूतन सिंह
2. प्रो. नवल किशोर यादव

आसन का निदेश

माननीय सदस्य, श्रीमती नूतन सिंह की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि आप दे दें, सरकार इसे देखेगी।

माननीय सदस्य, श्री रजनीश कुमार ने माननीय सदस्या की शून्यकाल की सूचना का समर्थन करते हुए कहा कि माननीय उप सभापति महोदय, 17 दिन से लोग अनशन पर बैठे हैं, इसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्रवण बाबू इसको देखेंगे, हमने कह दिया है।

माननीय सदस्य, प्रो. नवल किशोर यादव की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि आप दे दें, हमने कह दिया है, सरकार गंभीरता से संज्ञान में लेगी।

कार्यस्थगन प्रस्ताव के संबंध में आसन का नियमन

माननीय सदस्य, श्री लाल बाबू प्रसाद से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 2,6 एवं 24 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

(इस अवसर पर विरोधी दल के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर पोस्टर दिखाते हुए जोर-जोर से बोलने लगे और माननीय नेता, प्रतिपक्ष, श्री सुशील कुमार मोदी को छोड़कर बाकी माननीय सदस्यगण सदन वेश्म में चले आए।)

आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने अनुरोध किया कि माननीय सदस्य, लालबाबू प्रसाद जी का कार्यस्थगन प्रस्ताव है उनको बोल लेने दीजिए, परन्तु यथावत् नारेबाजी जारी रही।

6. **औपचारिक कार्य**

विधान सभा से स्वीकृत विधेयक का सदन की मेज पर रखा जाना

सचिव द्वारा बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 157 के अनुसार बिहार विनियोग विधेयक, 2017 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 3.3.2017 की बैठक में पारित हुआ, सदन की मेज पर रखा गया।

यथावत् नारेबाजी जारी रही। आसन से बार-बार अनुरोध किया गया कि माननीय सदस्यगण, स्थान ग्रहण करें, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे ध्यानाकर्षण में हैं, परन्तु सदन के अव्यवस्थित रहने की स्थिति में माननीय उप सभापति महोदय ने सदन को 2.30 अपराह्न तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।

(अंतराल)

7. **ध्यानाकर्षण**

1. माननीय सदस्य, डा. उपेन्द्र प्रसाद द्वारा गया जिलान्तर्गत शेरघाटी-गया मुख्य पथ की मरम्मती के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री महेश्वर हजारी ने वक्तव्य दिया।

2. माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी द्वारा नगर पंचायत बखरी, बेगूसराय में बरती गयी अनियमितता के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री महेश्वर हजारी ने वक्तव्य दिया।

   आसन का नियमन

   सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री जी, अपने स्तर से जांच कराकर कार्रवाई करके चलते सत्र में इसकी सूचना हमको देंगे

कि आपने क्या कार्रवाई की और माननीय सदस्यों को कन्फिडेंस में लेकर के सही तरीके से जांच करवाएं। इसपर माननीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि चलते सत्र में ही विशेष बैठक करके जांच कराकर कार्रवाई करेंगे। माननीय सदस्य, श्री रजनीश कुमार द्वारा बेगूसराय के संबंध में जांच हेतु आग्रह किए जाने पर नियमन दिया गया कि रजनीश जी, आपको भी साथ में रखेंगे।

3. माननीय सदस्य, श्री केदारनाथ पाण्डेय द्वारा पटना जिलान्तर्गत ग्राम+पो. अराय निवासी श्री दीनानाथ सिंह् के स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने वक्तव्य दिया।

8. वित्तीय कार्य

वित्तीय वर्ष 2016-17 की तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी पर सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर

माननीय सदस्य, श्री नीरज कुमार ने प्रस्ताव किया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 की तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी पर सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं बिहार विनियोग विधेयक, 2017 एक साथ लिए जाएं, जिसपर सदन द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

वित्तीय वर्ष 2016-17 की तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी पर सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं बिहार विनियोग विधेयक, 2017

वित्तीय विधेयक

बिहार विनियोग विधेयक, 2017

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार विनियोग विधेयक, 2017 पर विचार हो।

विधेयक के विचार के प्रस्ताव पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए-

1. श्री केदारनाथ पाण्डेय
2. श्री रामबचन राय
3. श्री रजनीश कुमार

(तदुपरांत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार विनियोग विधेयक, 2017 पारित हो।

विधेयक की स्वीकृति के प्रस्ताव पर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी ने वक्तव्य दिया।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

विधेयक पर बिना किसी सिफारिश के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

9. **निवेदन**

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा
2. प्रो. संजय कुमार सिंह
3. डा. उपेन्द्र प्रसाद
4. श्री केदारनाथ पाण्डेय
5. श्री गुलाम रसूल बलियावी
6. श्री सतीश कुमार
7. श्री नीरज कुमार
8. श्री रामचन्द्र भारती
9. प्रो. नवल किशोर यादव
10. श्री लालबाबू प्रसाद

माननीय उप सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन ' निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक मंगलवार, दिनांक 7.3.2017 को 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई।

6/3/2017

(सुभीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक
बिहार विधान परिषद्

ज्ञापांक- 310 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 6.3.2017

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, जनसंपर्क एवं सूचना विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार 6-3-2017

(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक
बिहार विधान परिषद्